FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

बनवारी बनाम प्रभूदयाल वगै0

किस्म मुकदमाः–प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बरः–59/2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये
13.08.2020	प्रार्थी वकील श्री कमल कुमार शर्मा एड0 ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश की। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर की जावें। प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं किए जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकील प्रार्थी की बहस एक पक्षीय सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र की प्रकृत्ति एंव आकस्मिकता को देखते हुए अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि उभय पक्षकारान् को जवाब पेश करने तक विवादग्रस्त आराजी भूमि खसरा नम्वर 1366 रकबा 2.89 हैक्टर में से 0.56 हैक्टर पश्चिमी तरफ की भूमि अवस्थित तन् ग्राम लिसाड़िया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। वकील प्रार्थी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण के नोटिस की तामील को सामान्य व साधारण प्रकिया के साथ–साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतियां रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करें तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करें। अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामील की ठोस कार्यवाही करें तथा आदेश 39 नियम 3 (क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें। पालना नहीं करने पर उक्त स्थगन आदेश स्वतः प्रभावहीन हो जावेगा। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस मय आदेश तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 10.09.2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	9934-36/RA 17-8-20 9937-41/RA 17-8-20
10.09.2020	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण मय पक्षकार बनवारी उपस्थित। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को आगे नहीं चलाकर खारिज किये जाने का लिखित में निवेदन किया है। वकील प्रार्थी ने निवेदन	(हस्ताक्षर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Gupta
Date: 2020.09.21 14:19:00 IST
Reason: SelfAttested

बनवारी बनाम प्रभूदयाल

आवेदित पत्र मु०नं० - 59/2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
	पर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को विड्रा कर खारीज किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
	(लक्ष्मीकान्त गुप्ता) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर(सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Gupta
Date: 2020.09.21 14:19:00 IST
Reason: SelfAttested